

# दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

सचिव का कार्यालय,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
प्रशासनिक कार्यालय भवन,  
गान्धीधाम(कच्छ), गुजरात - 370201



दूरभाष : (02836)220167  
FAX : (02836) 233172  
email: [secretary@deendayalport.gov.in](mailto:secretary@deendayalport.gov.in)

No: GA/PS/AM(Materials)/2025/2148

Date : 06-02-2026

## **OFFICE ORDER**

Shri Chetan D. Baudh, Jr. Engineer (Civil), Gr-I, is hereby promoted to the post of Assistant Manager (Materials), Class-II in the pay scale of Rs. 40000-140000 (pre-revised Rs. 8600-14600) on regular basis, in Mechanical Engineering Department, with immediate effect.

2. He will be on probation for a period of two years.
3. His pay will be fixed under normal rules in force, subject to instruction received from Ministry vide letter No. C-13019/33/2020-PE-II dated 1<sup>st</sup> July,2022, if so applicable, in this regard.
4. All other terms and conditions of service will be in accordance with the rules and regulations in force from time to time.
5. If he fails to resume duty within 07(Seven) days from the date of receipt of the order, the promotion will be treated as cancelled and he will neither be considered for promotion to this post for a period of one year nor be entitled for any MACP, till acceptance of next promotion in future.
6. In the case of non-acceptance of promotion without adducing valid reasons, the action will be initiated in accordance with Sr. No. (i) to (v) of this office Circular No. GA/PS/9332(Part)/329 dated 26<sup>th</sup> December,2011.

(Authority: Dy. Chairman's approval dated 02.02.2026 under note 46 of E-file no.1843)

  
**Sr. Dy. Secretary**  
Deendayal Port Authority

To:  
Shri Chetan D. Baudh,  
Jr. Engineer (Civil), Gr-I, P.No. 2733,  
Civil Engineering Deptt. (Through' Chief Engineer)

Copy to :

- |  |   |
|--|---|
| 1. Chief Engineer/Chief Mechanical Engineer              | For information and necessary action for relieving forwarding of duty report. |
| 2. AO(Pay), Gandhidham/RAO                               |   |
| 3. EDP(I/C)- For publication on DPT Website              |   |
| 4. Personal File of the Officer/ OS(Est.) & OS (HCM)-GAD |   |
| 5. Sr. PS to Chairman/ P.S to Dy. Chairman/ PA to CVO    |   |

# दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण



सचिव का कार्यालय,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
प्रशासनिक कार्यालय भवन,  
गांधीधाम(कच्छ), गुजरात - 370201



दूरभाष : (02836)220167

FAX : (02836) 233172

email: secretary@deendayalport.gov.in

सं. : जीए/पीएस/सहा.प्रबंधक.(सामग्री)/2025/ 2148


दिनांक : 06-02-2026

## कार्यालय आदेश

श्री चेतन डी. बौद्ध, कनिष्ठ अभियंता (सिविल), ग्रेड-I, को एतद्वारा यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग सहायक प्रबंधक (सामग्री), श्रेणी-II, के पद पर रु.40,000-1,40,000 (पूर्व संशोधित रु.8600-14600) के वेतनमान में, तत्काल प्रभाव से, नियमित आधार पर, पदोन्नत किया जाता है।

- वे दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे।
- उनका वेतन लागू सामान्य नियमों के तहत, मंत्रालय के पत्र सं. सी-13019/33/2020-पीई-II दिनांक 01 जुलाई 2022 के माध्यम से प्राप्त तत्संबंधी निर्देशों के अधीन, यदि लागू हो, तय किया जाएगा।
- उनकी सेवा संबंधी अन्य शर्तें, लागू सुसंगत नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगी।
- आदेश प्राप्त होने पर सात (7) दिनों के अंदर उन्हें कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी पदोन्नति रद्द मानी जाएगी और एक वर्ष की अवधि तक इस पद पर पदोन्नति हेतु उन पर न तो विचार किया जाएगा और ना ही वे आगे अगली पदोन्नति स्वीकार करने तक किसी भी प्रकार की एमएसीपी के हकदार होंगे।
- उपयुक्त कारण दिए बिना पदोन्नति स्वीकार न करने पर इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 26.12.2011 के परिपत्र सं. जीए/पीएस/9332(पार्ट)/329 के क्र.सं. (i) से (V) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(प्राधिकार : ई-फाइल सं.1843 में टिप्पणी सं.46 पर दिनांक 02.02.2026 को उपाध्यक्ष के अनुमोदन से)

  
वरिष्ठ उप सचिव

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

प्रति:

श्री चेतन डी. बौद्ध,

कनिष्ठ अभियंता (सिविल), ग्रेड-I, का.सं.2733,

सिविल अभियांत्रिकी विभाग

(मुख्य अभियंता के माध्यम से)

प्रतिलिपि :

- मुख्य अभियंता / मुख्य यांत्रिक अभियंता - सूचना एवं कार्यमुक्त करने एवं इयूटी रिपोर्ट भेजने आदि से संबंधित आवश्यक कार्रवाई हेतु
- लेखा अधिकारी (भुगतान), गांधीधाम/ आवासीय लेखापरीक्षा अधिकारी - सूचनार्थ
- ईडीपी (आई/सी) - डीपीटी की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु
- अधिकारी की व्यक्तिगत मिसिल/का.अधी.(स्थापना) एवं का.अधी.(एचसीएम) - सा.प्र.विभाग
- अध्यक्ष के व.नि.स./उपाध्यक्ष के निजी सचिव/मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सहायक